

देश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय, उपायुक्त, राँची
एफ०एस०एस० वाद सं० 07 / 2018-19

38
01.12.2022

कृष्णा प्रसाद सिंह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सी०एम०ओ० कार्यालय
सदर अस्पताल परिसर, राँची परिवादी/आवेदक

बनाम

चन्द्रेश्वर प्रसाद चौधरी पिता स्व० परमेश्वर चौधरी
मेसर्स सविता सेल्स होम प्रोडक्ट्स
डी०आई०जी० बंगला, गवरमेन्ट स्कूल के निकट,
पण्डरा, राँची विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, राँची एवं अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 95 दिनांक 02.04.2018 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरुद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हें धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले में अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची से पत्र सं० 94 दिनांक 02.04.2018 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के तौर राँची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये हैं तथा विश्लेषण के निमित्त खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होंने दिनांक 13.03.2018 को लगभग



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3



-: 2 :-

09:30 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरीक्षण किया तथा उनके दुकान से 200 ग्राम X 4 पैकेट "अधिकार हल्दी पाउडर" का नमूना वि लेशन हेतु मुल्य चुका कर एकत्रित किया। तदोपरान्त उसे चार भाग में बाँट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमें RAN/1657 का कोड अंकित किया तथा उसमें विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI में ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया।

खाद्य वि लेशक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:101/एफ०एस०एस०ए०/2018 दिनांक 26.03.2018 के अनुसार उपरोक्त "अधिकार हल्दी पाउडर" नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उसमें अप्रसांगिक बाह्य तत्व Scleremchymatous tissue मौजूद है।

प्रस्तुत वाद में सम्मन जारी करने के पश्चात् विपक्षी इस न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कारण पृच्छा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख के आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः यह वाद विपक्षी के अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख में मौजूद साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय परित करने हेतु निर्धारित किया गया।

अभिलेख के समग्र आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:101/एफ०एस०एस०ए०/2018 दिनांक 26.03.2018 से प्रमाणित होता है कि "अधिकार हल्दी पाउडर" नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उसमें अप्रसांगिक बाह्य तत्व Scleremchymatous tissue मौजूद है। इस प्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 51 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। धारा 51 के अनुसार कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या

क्रमांक का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
-: 3 :-		
	<p>विक्रय या आयत करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा।</p> <p>अतः विपक्षी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी के खिलाफ रु० 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है।</p> <p>अभिहित अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ति की वसूली के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से डिमांड नोटिस जारी किया जाए और यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड नोटिस में निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, राँची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="215 1691 542 1892" style="text-align: center;"> <p>लेखपित एवं संशोधित</p>  <p>उपायुक्त राँची</p> </div> <div data-bbox="917 1568 1276 1758" style="text-align: center;">  <p>उपायुक्त राँची</p> </div> </div>	